

पत्रावली प्रस्तुत हुई, वाद पुकारा गया। परिवादी अनुपस्थित। परिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश सिंह रावत न्यायालय में उपस्थित। उनके द्वारा परिवादी की ओर से हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र प्रपत्र संख्या 46ख प्रस्तुत किया गया। सुना। न्यायहित में केवल आज के लिए स्वीकार।

2. पत्रावली आज उपस्थिति अभियुक्त हेतु नियत है। अभियुक्त अनुपस्थित। अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व नियत तिथि पर जारी जमानती वारण्ट मुव0 10,000/—रुपये तामील/अदम तामील आख्या सहित पत्रावली पर वापस प्राप्त नहीं है। अभियुक्त राजू शाह के विरुद्ध पुनः मुव0 10,000/—रुपये का जमानती वारण्ट जारी किया जाये। परिवादी को निर्देशित किया जाता है कि आवश्यक पैरवी 03 दिन भीतर लेना सुनिश्चित करे।

3. पत्रावली वास्ते अभियुक्त उपस्थिति हेतु दिनांक 22.05.2023 को प्रस्तुत हो।

(जैनब)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चमोली।

